संख्या-17/2024/सा0-113/23-1-2024-23-1099/113/2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: 16 जनवरी, 2024

विषय: लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 05 वर्षीय अनुरक्षण का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने विषयक अपने पत्र संख्या-2741सी/यातायात-2/23, दिनांक 04.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के नव निर्माण अनुरक्षण हेतु दोष निवारण अवधि/पुनर्निर्माण (Defect Liability Period) तथा नवीनीकरण चक्र/निर्माण एवं अनुरक्षण तथा अनुरक्षण लागत के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत व्यवस्था की जाती है :-

तालिका-1

नवीनीकरण चक्र		
मार्ग की श्रेणी	**पूर्व में नवीनीकरण चक्र**	**नई व्यवस्था**
राज्य मार्ग	04 वर्ष	05 वर्ष
प्रमुख जिला मार्ग/ अन्य जिला मार्ग	05 वर्ष	05 वर्ष
ग्रामीण मार्ग	08 वर्ष	05 वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका-2

निर्माण/अनुरक्षण		
मार्ग की श्रेणी	**कार्य की प्रकृति**	**अनुरक्षण अवधि**
राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग/शहरी मार्ग/बाईपास/ग्रामीण मार्ग तथा समस्त श्रेणी के कंक्रीट मार्ग।	निर्माण/पुनर्निर्माण/सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण/ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	निर्माण के उपरान्त 05 वर्ष का दोष निवारण एवं भुगतान के साथ 05 वर्ष का अनुरक्षण।

तालिका-3

05 वर्ष के अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण लागत			
मार्ग की श्रेणी	**नवनिर्माण**	**पुनर्निर्माण**	**सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण**
राज्य मार्ग प्रमुख जिला मार्ग अन्य जिला मार्ग बाईपास शहरी मार्ग	निर्माण लागत का 2.5 प्रतिशत।	(क) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार होना है, के लिए निर्माण लागत का 2.5 प्रतिशत। (ख)चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार नहीं किया जाना है, के लिए निर्माण लागत का 05 प्रतिशत।	(क) आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित, परन्तु डिजाईन लाईफ पूर्ण न करने वाले मार्गों के लिए 15 प्रतिशत। (ख) जो मार्ग आई0आर0 सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित नहीं हैं या डिजाईन लाईफ पूर्ण कर चुके हैं, के लिए 25 प्रतिशत।
ग्रामीण मार्ग	निर्माण लागत का 7.5 प्रतिशत।	(क) आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार डिजाईन लाईफ के लिए पुनर्निर्माण प्रस्तावित होने पर निर्माण लागत का 7.5 प्रतिशत। (ख) आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार डिजाईन लाईफ के लिए पुनर्निर्माण प्रस्तावित न होने पर निर्माण लागत का 10 प्रतिशत।	(क) ऐसे मार्ग जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित हैं, के लिए लागत का 15 प्रतिशत। (ख) ऐसे मार्ग जो आई0आर0सी0 कोड की गाईड लाइन्स के अनुसार निर्मित नहीं हैं, के लिए लागत का 25 प्रतिशत।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग	इन मार्गों के लिए निर्माण लागत की अधिकतम 2.5 प्रतिशत।

3- ऐसे निविदा दाता (Contractor), जिनके द्वारा खराब गुणवत्ता का मार्ग निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मार्गों के अनुरक्षण हेतु बार-बार कार्यवाही करनी होती है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनसे अपेक्षित धनराशि की वसूली की जायेगी।

4- अतः उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के नव निर्माण अनुरक्षण हेतु/पुनर्निर्माण/05 वर्षीय दोष निवारण अवधि (Defect Liability Period) के भुगतान एवं नवीनीकरण चक्र के संबंध में उपर्युक्त तालिका-1, 2 व 3 में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

अजय चौहान

प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2024/सा0-113(1)/23-1-24-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0शासन।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।

4- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

5- समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

6- गार्डफाईल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।